राजस्थान सरकार
वित्त(एस.पी.एफ.सी) विभाग

क्रमांकः एफ 7(5)वित्त/एस.पी.एफ.सी/2013 दिनांक 11.05.2020

परिपत्र

इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 27.09.2016 के द्वारा समस्त उपापन संस्थाओं को RTPP Act, 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपापन से सम्बन्धित समस्त अपेक्षित आवश्यक सूचनाओं/आदेशों का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल पर आवश्यक रूप से किये जाने बाबत विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये थे।

परन्तु व्यवहार में यह पाया गया है कि अधिकांश उपापन संस्थाओं द्वारा अभी तक भी पोर्टल पर केवल बोली आमंत्रण सूचनाओं (NIB) का ही प्रकाशन किया जा रहा है तथा उपापन से सम्बन्धित अन्य समस्त आवश्यक सूचनाओं/आदेशों का पोर्टल पर प्रकाशन नहीं किया जा रहा है, जो कि गम्भीर विषय है।

इस सम्बन्ध में एतद् द्वारा समस्त उपापन संस्थाओं को पुनः निर्देश प्रदान किये जाते है कि वे RTPP Act, 2012 की धारा 17 के अनुसार उपापन से सम्बन्धित निम्नलिखित सूचनाएं राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर आवश्यक रूप से प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करावें:–

1. पूर्व–अर्हता दस्तावेज, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेज, बोली दस्तावेज तथा उसके संशोधन, स्पष्टीकरण जो बोली–पूर्व सम्मेलन के अनुसरण में हो, और उसके शुद्धि–पत्र,
2. पूर्व–अर्हता या, यथास्थिति, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण के दौरान सहित बोली लगाने वालों की सूची, जिन्होंने बोली लगायी है,
3. पूर्व–अर्ह और, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत बोली लगाने वालों की सूची,
4. धारा 25 के अधीन, कारण सहित अपवर्जित बोली लगाने वालों की सूची,
5. धारा 38 और 39 के अधीन विनिश्चय,
6. सफल बोलियों का, उनकी कीमतों का और बोली लगाने वालों का ब्यौरा,

7. बोली लगाने वालों, जिन्हें राज्य सरकार या किसी उपापन संस्था द्वारा विवर्जित किया गया हैं, कि विशिष्टयां, साथ ही उपापन संस्था का नाम, विवर्जन कार्रवाई का कारण और विवर्जन की कालावधि,
8. कोई अन्य सूचना, जो विहित की जाये।
9. एवं उक्त अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित अन्य आदेश

कतिपय प्रकरणों में यह भी देखा गया है कि जिन मामलों में ई–बोली आंमत्रित की जाती है, उनमें उपापन संस्थाओं द्वारा केवल ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ही बिड एवं तत्पश्चात आवश्यक दस्तावेजों का प्रकाशन किया जाता है परन्तु राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर नहीं। RTPP Act, 2012 के अनुसार राशि रूपये 1.00 लाख या इसे अधिक के उपापन के सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित पूर्ण कार्यवाही का राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशन किया जाना बाध्यकारी है।

इसी प्रकार इस विभाग के परिपत्र कमांक एफ1(8) जी एण्ड टी/2014 दिनांक 24.07.2014 के अनुसार नोडल अधिकारी के कर्तव्यों में अन्य कार्यो के साथ–साथ उनके विभाग के अधीन समस्त उपापन संस्थाओं द्वारा इस अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत प्रावधित समस्त वांछित दस्तावेजों की राज्य लोक उपापन पोर्टल पर प्रकाशित किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रत्येक छःमाही (15 अप्रेल एवं 15 अक्टूबर प्रेष्य) भिजवाने बाबत निर्देशत किया गया है। परन्तु अधिकांश विभागाध्यक्षों/उपापन संस्थाओं द्वारा उक्त प्रमाण पत्र इस विभाग को प्रेषित किये जाने का अभाव पाया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में पुनः निर्देश प्रदान किये जाते है कि समस्त विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ उपापन संस्थाओं के बाबत उक्त प्रमाण पत्र नोडल अधिकारियों के माध्यम से ***cao.spfc@rajasthan.gov.in*** पर निर्धारित समय (15 अप्रेल एवं 15 अक्टूबर) पर आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करावें।

RTPP Act, 2012 एवं RTPP नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार प्रावधान समस्त अपेक्षित सूचनाओं का प्रकाशन राज्य लोक उपापन पोर्टल (SPPP) पर नहीं किया जाना RTPP Act, 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधानों के **गंभीर उल्लंघन** की श्रेणी में आता है, जिसके लिए सम्बन्धित उपापन संस्था के उत्तरदायी अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही के अतिरिक्त इस अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत प्रावधित शाक्तियों से दंडित करने की कार्यवाही सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा अविलम्ब संपादित की जावें।

उपापन संस्थाओं के अधीन पदस्थापित राजस्थान लेखा सेवा/अधीनस्थ लेखा सेवा के अधिकारियों/कार्मिको का उक्त प्रावधानों की अनुपालना का प्राथमिक दायित्व होगा।

उक्त निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावें।

11/5/20

(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव
वित्त(बजट) विभाग

क्रमांकः एफ 7(5)वित्त/एस.पी.एफ.सी/2013 **दिनांक** 11-05-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर।
7. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग को उनके अधीनस्थ अंकेक्षण दलों द्वारा इन निर्देशों की पालनार्थ।
9. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
10. प्रधान महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यक लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ समस्त उपापन संस्थाओं को इस परिपत्र की प्रति प्रेषित करा कर इसकी पालना सुनिश्चित करावें।
12. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
13. समस्त कोषाधिकारी।
14. तकनीकी निदेशक (computer cell), वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

11/5/2020

(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव
वित्त (जी एण्ड टी) विभाग